

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(आई0टी0-अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 22 जून, 2017

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर  
वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।

मुख्यालय के पत्र संख्या-आई टी0 Refresher Course -2017-18 / 199 वाणिज्य कर दिनांक 11 मई 2017 द्वारा पूर्व में सभी जोनों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी किया गया था। प्रथम चरण के प्रशिक्षण के पश्चात GST अधिनियम से सम्बन्धित नियमों व व्यवस्था में काफी परिवर्तन हुये हैं। फील्ड स्तर पर मुख्यालय पर स्टेकहोल्डर्स की काफी जिज्ञासायें आ रही है जिसका समाधान स्थानीय स्तर पर पूर्ण रूप से नहीं किया जा रहा है। अतः यह आवश्यक है कि नये नियमों व परिवर्तनों आदि की जानकारी हेतु अधिकारियों का पुनः प्रशिक्षण कराया जाये, जिससे सभी स्टेकहोल्डर्स की समस्याओं का निराकरण फील्ड स्तर पर ही समय से हो सके। अतः सभी अधिकारियों का पुनः दो दिवसीय जी0एस0टी0 सम्बन्धी प्रशिक्षण कराया जा रहा है। इस पत्र के साथ प्रशिक्षण कलैण्डर प्रेषित किया जा रहा है। आपसे अनुरोध है कि अपने जोन से सम्बन्धित सभी अधिकारियों को प्रशिक्षण कलैण्डर के अनुसार प्रशिक्षण में उपस्थित होने के लिए निर्देश देना सुनिश्चित करें। सभी अधिकारियों से अपेक्षा है कि वे जी0एस0टी0 एक्ट व अन्य सभी विषयों पर पूर्ण तैयारी के साथ प्रशिक्षण में सम्मिलित होना सुनिश्चित करें। प्रशिक्षण कलैण्डर के अनुसार आपके जोन के अधिकारियों की सूची आपको ई-मेल व नोटिस बोर्ड पर भी प्रेषित की जायेगी।

उपरोक्त सभी अधिकारियों का जी0एस0टी0, आई0जी0एस0टी0, सी0जी0एस0टी0, एक्ट तथा रूल्स से सम्बन्धित विषयों पर परीक्षा ली जायेगी। जोनल एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 वाणिज्य कर अपने स्तर से सभी अधिकारियों को समय से प्रशिक्षण में उपस्थित होने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्नक- प्रशिक्षण कलैण्डर।

(आन्जनेय कुमार)

एडीशनल कमिश्नर (आई0टी0)  
वाणिज्य कर, मुख्यालय, उत्तर प्रदेश।

